XIV-Form No. 563.

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय

राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या 26 / 2008

(धारा 21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अंर्तगत)

1. शेख अख्तर अली, पिता–स्व0 शेख जुघी
सा0–बखरी कोल थाना, के0नगर, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदक
2. बीबी रैयतुन निशा, पिता– शेख जुघी, सा0–बखरी कोल थाना, के0नगर, जिला–पूर्णिया

बनाम

1. शेख मझरूल हक, पिता–शेख ईसमाईल
सा0–बखरी कोल थाना, के0नगर, जिला–पूर्णियाँ

आ दे श

यह राजस्व वाद वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–284 / 80–84 में विद्वान अंचल अधिकारी के0नगर द्वारा निर्गत वासगीत पर्चा के विरूद्ध धारा 21 वी0पी0पी0एच0टी0 अर्न्तगत दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत जमीन आवेदकगण के पिता के नाम से सिकमी दर्ज था। आवेदक संख्या–2 की शादी विपक्षी के साथ हुआ था और एक पुत्री के जन्म के उपरान्त दोनों में तलाक हो गया। आवेदक संख्या–2 जो आवेदक संख्या–1 की बहन है तलाक के बाद पुत्री के साथ पुनः अपने माईके साथ में रहने लगी और बाद में आवेदक के जमीन के खतियानी मालिक से प्रश्नगत जमीन केवाला द्वारा खरीद लिया है। विपक्षी को अपना घर एवं जमीन भी है। फिर भी विद्वान अंचल अधिकारी से गलत ढंग से प्रश्नगत जमीन का वासगीत पर्चा अपने नाम से बनवा लिया है। आवेदकगण का घर इस जमीन पर पिता के समय से ही है। अतः विपक्षी के नाम से निर्गत वासगीत पर्चा निरस्त करने हेतु अनुरोध किये हैं।

विपक्षी की ओर से प्रति उत्तर दाखिल किया गया। जिसमें विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा पर्चा निर्गत किया गया है। जबकि मेरा घर भी उस जमीन पर बना हुआ है।

मेरे पास भी इस जमीन के अतिरिक्त कोई अन्य जमीन नहीं है। विपक्षी का यह भी कथन है कि आवेदक के पास और अधिक जमीन खरीद लिया है। वर्त्तमान वाद काल बाधित है। उस आधार पर खारिज होने योग्य है विलम्ब को माफ करने हेतु कोई आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। उक्त वाद में आवेदकों एवं विपक्षियों के बीच दिनांक 21.06.2007 को मरंगा ओ0पी0 प्रभारी की उपस्थिति में इस विवाद में लिखित समझौता हुआ। आवेदक संख्या–2 निश्चित रूप से विपक्षी की व्याहता पत्नी थी परन्तु संबंध में कटुता होने से तलाक दे दिया गया। विपक्षी का यह भी कथन है कि मेरे आवेदन पत्र के आलोक में विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर ने थाना प्रभारी, मरंगा से जांच प्रतिवेदन की मांग किया तथा उक्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी सदर ने अपने पत्रांक 718, दिनांक 23.09.2008 के द्वारा अंचल अधिकारी, के0नगर को वासगीत वाली भूमि को घेराबन्दी करने का निदेश दिये। उक्त निदेश के आलोक में विद्वान अंचल अधिकारी, के0नगर ने अपने पत्रांक 1012, दिनांक 11.10.2008 के द्वारा अंचल निरीक्षक को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करते हुए वासगीत पर्चा वाली भूमि का अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिए। विपक्षी का यह भी कथन है कि प्रश्नगत खेसरा संख्या संख्या 145 के संपूर्ण रकवा 0.09 डिसमल पर शेख जुद्दी का मकान शेष 0.05 डिसमल जमीन पर पूर्व में विपक्षी के पिता और उनकी मृत्यु के उपरान्त विपक्षी का मकानमय सहन है। आवेदक प्रश्नश्रय प्राप्त रैयत की श्रेणी में नहीं आते हैं। उपरोक्त तथ्यों के सन्तुष्टि हेतु विपक्षी द्वारा कागजात समर्पित किया गया है तथा वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों को दिनांक 07.02.2011 को सुना गया। आवेदक के द्वारा कहा गया कि विपक्षी को निर्गत पर्चा प्रपत्र–G के अनुसार नहीं है एवं विपक्षी अभी तक उक्त जमीन का दखल–खारीज भी नहीं करावायें हैं। उनके उक्त जमीन पर सिकमीदार होने के बावजूद भी आवेदक को पर्चा निर्गत किया जाना उचित नहीं है।

विपक्षी के द्वारा कहा गया कि आवेदक द्वारा यह वाद पर्चा निर्गत होने के 28 साल बाद दायर किया गया है। वर्ष 1980 से उक्त जमीन पर जमाबन्दी उनके नाम से चलने एवं दखल–कब्जा किये जाने की बात बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा किये गये स्थल जांच में भी उनका दखल–कब्जा स्पष्ट हुआ है।

सुनवाई के बाद एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि–सम्मत है एवं उसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ ही इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ